

सहायक कलक्टर (मिनीय) सीकर
 दुर्जनशाला
 विविध 14/2021

8/11/24

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष
 हकीर पीठारीन अधिकारी कुनाव/अन्य काय
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक...1.2.24 ...को पेश हो

16/1/24

दिनांक 15/1/24 का अवरुध होने के कारण काफ़ी

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष
 हकीर पीठारीन अधिकारी कुनाव/अन्य काय
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक...15/3/24 ...को पेश हो

15/2/24

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष
 हकीर पीठारीन अधिकारी कुनाव/अन्य काय
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक...15/5/24 ...को पेश हो

15/5/24

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष
 हकीर पीठारीन अधिकारी कुनाव/अन्य काय
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक...18/6/24 ...को पेश हो

18/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
 वकील वादी ने रजिस्टर्ड लामील सीद पेश की
 अतिदी सेख्या 1 न 5 की विधिगत रजिस्टर्ड
 लामील है चुकी है। विधिगत रजिस्टर्ड लामील के
 एक माह पश्चात श्री न्यायालय के हाजिर नहीं
 आये। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही प्रारंभ
 में लगी जाती है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत
 आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 R 9 मपडित धारा
 151 CPC वारंते वाद में पुनः सुनवाई हेतु नवंबर
 लिये जाने हेतु के तर्कों को कोटेशन हेतु निकलाने का
 श्री कुकमा नं 88/2018 अन्तर्गत दुर्जनशाला
 अनाम श्रम आदि 17/01/2019 को लामील होकर
 अतिदीका की श्री जवाब देही प्रस्तुत कले हेतु निमत
 रही थी। 15/07/2019 को अतिदीका की जवाब पेश
 कले हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था।

अभिभाषक संघ, सीकर

दिनांक 13/09/2021 को उम्मेदवार अक्षय पैरवी
अक्षय हाजरी में रजिस्ट्रार हो गया। वादी और उसके
अधिवक्ता की उम्मेद अनुपस्थिति की उर व अधिवक्ता
के मध्य जारीत पेशी नियत करने missunderstanding
की वजह से गलत लिखि अधिवक्ता द्वारा दर्ज करने के कारण
है। जो जो क्षम्य प्रोग्राम है। इसलिए वाप सेख्या 88/2018
वउनवानी चुर्नशाल बनाम मूला भादि के परिद भादेश
दिनांक 14/09/2021 एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाकर
उत्तरण की पुनः सुनवाई हेतु गणना कर गुणवामुण पर
निर्णित किया जाना उचित है।

करील उम्मेद की वरस पर मनन किया गया।
पतावली व आवेदन के लब्धों का अवलोकन किया गया।
पतावली व आवेदन के लब्धों से स्पष्ट है कि पुनः न
88/2018 वउनवानी चुर्नशाल बनाम मूला भादि
भादेश दिनांक 14/09/2021 का वादी व वादी अधिवक्ता
की अनुपस्थिति के कारण अक्षय पैरवी अक्षय हाजरी में
रजिस्ट्रार हो गया था। न्यायालय आवेदन भंगगत
भादेश 9 R 9 स्तपलित द्वारा 151 CPC न्यायवहित
में स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः आवेदन भंगगत भादेश 9 R 9 स्तपलित
द्वारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर पुनः न 88/2018
वउनवानी चुर्नशाल बनाम मूला भादि केसल
दिनांक 14/09/2021 का पुनः नम्बर पर लिया
जाला है। पतावली केसल शुमार होकर नम्बर
से नम है। पारखिल दफ्तर है।

यह केसल आज दिनांक 18/6/24 को जेरे द्वारा
मुख्य न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर